बड़ीप्रसाद बनाम रामकरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

वाद संख्या 99/2015

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/3/18	नाथावाला मे वादी स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रतिवादी से। सेलफाइल 5 के पूर्वज जगदीश पुत्र चन्दा के नाम विभाजन से भाई खाता सं. 650 रकबा 0.09 है0 भूमि को वादी के नाम दर्ज करने पर सहमति व्यक्त की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी से0 1 से 5 के पूर्वज जगदीश पुत्र चन्दा माली ने आराजी सं. 650, 648 मे अपना हिस्सा वादी को विक्रय किया गया है। चूंकि अब उक्त खेत जगदीश के नाम विभाजन मे सं. 650 ही रहा है तथा वादी खा. सं. 650 रकबा 0.09 है0 भूमि की खातेदारी अपने नाम करने हेतु सहमति दी है। अतः लोक अदालत की भावना से दावा डिक्री किया जाता है कि आराजी खाता नम्बर 650 रकबा 0.09 है0 वाले ग्राम नाथावाला तहसील शाहपुरा में प्रतिवादी से0 1 लगा 5 के पूर्वज जगदीश पुत्र चन्दा राम जाति माली का नाम हटाकर वादी बड़ी प्रसाद पुत्र भैरूराम जाति माली निवासी नाथावाला उर्फ चानावाला के खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है। तहसीलदार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तह0 शाहपुरा को पत्रावली डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम होकर दाखिल दफ्तर हो	

(रविन्द्र विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)